न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 20 / 2025

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

चुनाराम पुत्र रामाराम जाति नाई निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. नगाराम पुत्र रामाराम
2. मोहनराम पुत्र रामाराम
3. मैनाराम पुत्र देवाराम जातियान नाई निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. कविन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह
5. खेतसिंह पुत्र गंगासिंह
6. पर्वतसिंह पुत्र जयसिंह
7. पारस कंवर पत्नि जयसिंह
8. भुपेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
9. भवानीसिंह पुत्र तनसिंह
10. राजकंवर पत्नि तनसिंह
11. संतोषकंवर पत्नि किशनसिंह
12. सिरेकंवर पत्नि गंगासिंह जातियान राजपूत निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
13. भोलाराम पुत्र आसूराम
14. अमराराम पुत्र खंगाराराम
15. करनाराम पुत्र प्रभूराम
16. पूनमाराम पुत्र प्रभूराम
17. विरधाराम पुत्र प्रभूराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
18. बालाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
19. तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –14.05.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 726/386 रकबा 2.2194 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729/239 रकबा 5.2018 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested